पटना में दिनांक–16 फरवरी, 2016 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

उद्योग विभाग

1. महात्मा गाँधी बुनकर बीमा योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2015–16 में बुनकर अंशदान के भुगतान हेतु राज्य योजना मद से 5.00 लाख (पाँच लाख) रूपये मात्र की योजना स्वीकृति का प्रस्ताव। — 1. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

2. वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत राज्य के एक विश्वविद्यालय एवं 27 अंगीभूत महाविद्यालयों के आधारभूत संरचना विकास की स्वीकृत योजना के लिए केन्द्रांश हेतु रू० 17,42,60,000/–(सतरह करोड़ ब्यालीस लाख साठ हजार) एवं राज्यांश हेतु रू० 12,33,18,000/–(बारह करोड़ तैंतीस लाख अठारह हजार) मात्र अर्थात केन्द्रांश एवं राज्यांश को मिलाकर कुल रू० 29,75,78,000/–(उनतीस करोड़ पचहत्तर लाख अठहत्तर हजार) मात्र के व्यय की स्वीकृति। — 2. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

3. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य योजनान्तर्गत सैदपुर परिसर, पटना विश्वविद्यालय, पटना के चहारदिवारी निर्माण हेतु कुल रू० 5,97,00,000/–(पाँच करोड़ संतानवे लाख) मात्र सहायक अनुदान व्यय की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 3. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

4. राज्य के प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में नियोजित एवं कार्यरत 66,104 प्रखंड शिक्षकों एवं नगर निकाय शिक्षकों के वित्तीय वर्ष, 2015–16 के वेतन भुगतान के लिए पंचायत समितियों एवं नगर निकायों को सहायक अनुदान मद में कुल 4,78,13,07,000/–(चार अरब अठहत्तर करोड़ तेरह लाख सात हजार) रूपये की स्वीकृति एवं विमुक्त करने की स्वीकृति के संबंध में। — 4. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

5.. वित्तीय वर्ष 2015–16 में सर्व शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत केन्द्रांश के द्वितीय किस्त के रूप में प्राप्त राशि ₹ 7,71,78,29,000/–(सात अरब इकहत्तर करोड़ अठत्तर लाख उन्नतीस हजार रूपये) की सहायक अनुदान मद में व्यय की स्वीकृति एवं विमुक्ति। — 5. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

6. सी०डब्लू०जे०सी० सं०–10405/2010 दिनांक–21.08.2014 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु डा० शिव नारायण सिंह चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, उखई, सिवान चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नौतन, पश्चिम चम्पारण को बर्खास्त करने संबंधी संकल्प सं० 618 (9) दिनांक–16.07.2009 को निरस्त करते हुए इन्हें सेवा में S.L.P के न्याय निर्णय के अधीन सशर्त दिनांक–16.07.2009 से पुर्नस्थापित (Reinstate) किये जाने के प्रस्ताव के संबंध में। — **6. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

7. डा० शिवानंद, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेलारकला, फुलवरिया, गोपालगंज को दिनांक–14.08.2005 से लगातार अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने के आरोप में बिहार सेवा संहिता के नियम 76 के तहत सेवा से बर्खास्त करने के संबंध में। — **7. स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

8. डा० राजेश्वर प्रसाद सिन्हा, तत्कालीन प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बहेड़ी, दरभंगा (सम्प्रति निलंबित) को मुख्यालय क्षेत्रीय उपनिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, पूर्णियाँ प्रमण्डल पूर्णियां को प्रमाणित आरोपों के आधार पर सरकारी सेवा से बर्खास्त करने का प्रस्ताव है। — **8. स्वीकृत।**

वित्त विभाग

9. बिहार पेंशन नियमाली में नया नियम–186 (3) जोड़े जाने के संबंध में। — **9. स्वीकृत।**

समाज कल्याण विभाग
(समाज कल्याण निदेशालय)

10. समाज कल्याण निदेशालय अधीन किशोर न्याय अधिनियम अन्तर्गत संचालित उत्तर रक्षा गृह में रह रहे आवासियों के दैनिक उपयोग की वस्तुओं/सामग्री तथा गृह के संधारण हेतु दरों में संशोधन की स्वीकृति। — **10. स्वीकृत।**

उद्योग विभाग

11. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्य के दो शीर्ष संघ यथा बिहार राज्य हस्तकरघा बुनकर सहयोग संघ लि०, राजेन्द्रनगर, पटना एवं दि बिहार स्टेट शीप एण्ड ऊल विभर्स को–ऑपरेटिव युनियन लि०, राजवंशीनगर, पटना को उत्पादन कार्य एवं बुनकरों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक संघ को एक–एक करोड़ रूपए कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराने के लिए दो करोड़ रूपए मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 11. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

12. वित्तीय वर्ष 2015–16 में राज्यान्तर्गत हस्तकरघा बुनकर परिवार के कल्याणार्थ केन्द्र प्रायोजित हैण्डलूम विवर्स कम्प्रीहेन्सिव वेलफेयर स्कीम (हस्तकरघा बुनकर व्यापक कल्याण योजना) के घटक स्वास्थ्य बीमा योजना का पूर्व में वित्तीय वर्ष 2013–14 एवं 2014–15 में क्रमशः मो० 23,07,364/–(तेइस लाख सात हजार तीन सौ चौसठ) रूपये एवं मो० 22,62,995/–(बाईस लाख बासठ हजार नौ सौ पन्चानवे) रूपये अर्थात कुल मो० 45,70,359/–(पैंतालीस लाख सत्तर हजार तीन सौ उनसठ) रूपये मात्र सहायक अनुदान की स्वीकृति का प्रस्ताव। — 12. स्वीकृत।

खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

13. खरीफ विपणन मौसम 2015–16 के अन्तर्गत राज्य में धान अधिप्राप्ति कार्यक्रम (05.12.15 से 31.03.2016) तथा सी०एम०आर० कार्यक्रम (05.12.15 से 30.06.16) के लिए बिहार राज्य खाद्य निगम को कार्यशील पूँजी के रूप में विभिन्न बैंकों से लिए जाने वाले ऋण कुल 2,000.00 करोड़ रूपये (दो हजार करोड़ रूपये) की राशि के लिए सरकार की गारंटी प्रदान करने की स्वीकृति के संबंध में। — 10. स्वीकृत।

जल संसाधन विभाग

15. बिहार नहर चाट/भूमि बन्दोबस्ती नियमावली–2016 के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

16. सिवान जिलान्तर्गत पूर्व से गठित तीन प्रखंडों, यथा नौतन, हसनपुरा एवं जीरादेई के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 34 के अधीन क्रमशः नौतन पंचायत समिति, हसनपुरा पंचायत समिति एवं जीरादेई पंचायत समिति के गठन से संबंधित अधिसूचना प्रारूप एवं उक्त अधिनियम की धारा 151 के अधीन सिवान जिलान्तर्गत (1) मैरवा पंचायत समिति, (2) दरौंदा पंचायत समिति, (3) पचरूखी पंचायत समिति, (4) सिसवन पंचायत समिति एवं (5) रघुनाथपुर पंचायत समिति (6) आन्दर पंचायत समिति एवं (7) हुसैनगंज पंचायत समिति को दिनांक–18.02.2016 के प्रभाव से विघटित करते हुए (1) मैरवा पंचायत समिति, (2) नौतन पंचायत समिति, (3) दरौंदा पंचायत समिति, (4) पचरूखी पंचायत समिति, (5) सिसवन पंचायत समिति, (6) रघुनाथपुर पंचायत समिति, (7) हसनपुरा पंचायत समिति, (8) आन्दर पंचायत समिति, (9) हुसैनगंज पंचायत समिति एवं (10) जीरादेई पंचायत समिति का पुनर्गठन किये जाने एवं उक्त पंचायत समितियों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अनुसार विघटन की तिथि से अधिकतम छह महीने के अंदर निर्वाचन कराये जाने के संबंध में गठित आदेश प्रारूप पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति। — 16. स्वीकृत।

पंचायती राज विभाग

17. पंचायत आम निर्वाचन, 2016 में अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित निर्वाचन व्यय की अधिसीमा में बढ़ोतरी हेतु बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 118 (2) में संशोधन की स्वीकृति के संबंध में। — 17. स्वीकृत।

वाणिज्य--कर विभाग

18. "AIRLIFT" हिन्दी चलचित्र को मनोरंजन कर से विमुक्त करने के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

19. बिहार कराधान विवाद समाधान योजना के संबंध में। — 19. स्वीकृत।

वाणिज्य–कर विभाग

20. ईट–भट्ठों द्वारा देय समाहितीकरण राशि में वृद्धि किये जाने के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

कृषि विभाग

21. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना के अधीन National e-Governance Plan Agriculture (NeGP-A) परियोजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिए वर्ष 2015–16 में 105717710.00 (दस करोड़ संतावन लाख सत्तरह हजार सात सौ दस) रूपये की स्वीकृति। जिसमें AGRISNET परियोजना अंतर्गत 4,00,00,000 रू० विमुक्त राशि बामेती के खाते में उपलब्ध है तथा 6,57,17,710 रू० (केन्द्रांश मद में 5,14,32,253 तथा राज्यांश मद में 1,42,85,457) उपलब्ध राशि से व्यय किया जाना है। — 21. स्वीकृत।

कृषि विभाग

22. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी (NMAET) के अंतर्गत सब–मिशन ऑन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन योजना (60:40) के कार्यान्वयन के लिये बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती), पटना तथा जिला स्तरीय कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंध अभिकरण (आत्मा) को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए 7994.883 लाख रूपये (उन्नासी करोड़ चौरानवे लाख अठासी हजार तीन सौ रूपये मात्र) (केन्द्रांश मद में 4796.93 लाख रूपये एवं राज्यांश 3197.953 लाख रूपये) का स्वीकृति। — 22. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

23.	वित्तीय वर्ष 2015–16 में केन्द्र प्रायोजित योजनान्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन परियोजना हेतु 31.03.2015 तक Committed Liabilities के रूप में शत् प्रतिशत राज्यांश ₹69,41,000 (उनहत्तर लाख एकतालीस हजार) मात्र के सब्सिडी की स्वीकृति का प्रस्ताव।	23. स्वीकृत।

स्वास्थ्य विभाग

24.	बिहार उपचर्या शिक्षण संवर्ग (संशोधन) नियमावली 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	24. स्वीकृत।

कृषि विभाग

25.	बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को Vegetable Initiative for Urban Clusters (VIUC) के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से वर्ष 2015–16 में 9.00 करोड़ रूपये सहायतानुदान की स्वीकृति।	25. स्वीकृत।

कृषि विभाग

26.	बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृति राष्ट्रीय सब्जी इनिसिएटिव योजना (VIUC) के RKVY मद में केन्द्र सरकार से विमुक्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायतानुदान की प्रथम किस्त की राशि मो० 3.00 करोड़ रूपये (तीन करोड़ रूपये) की वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी एवं व्ययन की स्वीकृति।	26. स्वीकृत।

कृषि विभाग

27.	बिहार बागवानी विकास सोसाइटी को वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृति राष्ट्रीय बागवानी मिशन योजना के केन्द्रांश मद में केन्द्र सरकार से विमुक्त द्वितीय किस्त की राशि मो० 10.00 करोड़ रूपये (दस करोड़ रूपये) की वित्तीय वर्ष 2015–16 में निकासी की स्वीकृति।	27. स्वीकृत।

वित्त विभाग

29.	पंचम राज्य वित्त आयोग द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में की गई अनुशंसाओं को लागू करने के संबंध में।	30. स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

31.	बिहार भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा शर्त्तें विनियमन) नियमावली, 2005 में संशोधन।	31.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

32.	बिहार ठेका मजदूर (विनियमन एवं उन्मूलन) नियमावली, 1972 में संशोधन।	32.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

33.	बिहार बीड़ी एवं सिगार (नियोजन एवं शर्त्तें) नियमावली, 1968 में संशोधन।	33.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

34.	बिहार न्यूनतम मजदूरी नियमावली 1951 में संशोधन।	34.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

35.	बिहार मजदूरी भुगतान नियमावली, 1937 में संशोधन।	35.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

36.	बिहार मोटर परिवहन कर्मकार नियमावली, 1962 में संशोधन।	36.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

37.	बिहार मातृत्व प्रसुविधा नियमावली, 1964 में संशोधन।	37.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

38.	बिहार अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मकार (नियोजन विनियमन एवं सेवाशर्त्त) नियमावली, 1980 में संशोधन।	38.	स्वीकृत।

श्रम संसाधन विभाग

39.	बिहार दूकान एवं प्रतिष्ठान नियमावली, 1955 में संशोधन।	39.	स्वीकृत।